रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1980/भाद्र 17, 1902
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1980/BHADRA 17 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1980

विदेश यात्रा कर

सा. का. नि. 525(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 508(अ)/फ. सं. 306/1/80-एफ टी टी, तारीख 1 सितम्बर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के द्वितीय पैरा में, "10 सितम्बर, 1980" के स्थान पर "15 सितम्बर, 1980" रखा जाएगा ।

[सं. 3/एफ टी टी/80-फा. सं. 306/1/80-एफ टी टी]

के. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1980

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act 1979 (21 of 1979) the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR. 508(E)/F. No. 306/1/80-FTT, dated the 1st September, 1980 namely :—

In the second paragraph of the said notification, for the date "10th September, 1980", the date "15th September, 1980", shall be substituted.

[No. 3/FTT/80-F. No. 306/1/80-FTT]

K. KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980